

## कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जवाजा

क्रमांक - १२४७

दिनांक: 22.02.2023  
22/2/2023

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है राजस्थान महिला कल्याण मंडल द्वारा संचालित संजय इंकलूसिव स्कूल ब्यावर, जिला अजमेर विभाग के पत्रांक जिशीआई/प्रा.शि./अज./मान्यता/2014-15/4924 दिनांक 09-12-2014 के अनुसार प्रदान कि गई है जो वर्तमान में UDISE Code 08210522704 है तथा विद्यालय का नियमित संचालन किया जा रहा है।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी  
समग्र शिक्षा-जवाजा (अजमेर)  
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

जवाजा

एव पदन बी.आर.सी.एफ.  
समग्र शिक्षा अभियान जवाजा

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर

क्रमांक :—जिशिअ/प्राशि/अज/मान्यता/2014—15

५९२५ दिनांक ११२१५

संजय इनकलूसिव स्कूल,  
ब्यावर

रीभर्स्टड

उप्रावि  
(माध्यम हिन्दी)

विषय :—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा—18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ॥ के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण—पत्र।

दिनांक 17.6.14. के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं, संजय इनकलूसिव स्कूल ब्यावरविद्यालय का नाम पते सहित) को दिनांक 01.07.2014 से दिनांक 30.6.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक (उप्रावि की मान्यता हेतु आवेदन करने वाले विद्यालयों को प्रत्येक वर्षावार क्रमान्वयी की शर्त पर) के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं :—

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा—8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपावंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपावंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के...25...प्रतिशत तक आस—पड़ौस के कमजोर बगों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4 पैरा—3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा—12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5 सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- 7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :—
  - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।?
  - (II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
  - (III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम—23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (V) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
- (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे। अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- (VII) विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का

जिला शिक्षा अधिकारी  
(प्रारम्भिक शिक्षा), अजमेर

- पालन करेगा।
- 9 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
- 10 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :—  
 विद्यालय परिसर का क्षेत्र  
 कुल निर्मित क्षेत्र  
 क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल  
 कक्षा कमरों की संख्या  
 प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भंडार कक्ष  
 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय  
 पेयजल सुविधा  
 मिड—डे—मील पकाने के लिए रसोई, बाधा रहित पहुंच
- 11 अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर्णों/पुस्तकालय की उपलब्धता  
 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोइ गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
- 12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 13 विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 14 विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 15 विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)....अजमेर को भेजी जानी चाहिए।
- 16 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 4924 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
- 17 विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)....अजमेर.....द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएँ।
- 18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 19 संलग्न उपावध—के अनुसार अन्य कोई शर्त।

*जिला शिक्षा अधिकारी*  
 (जिला शिक्षा अधिकारी)  
 (प्रारम्भिक शिक्षा) अजमेर  
 प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर